This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 29 मई, 2015 / 8 ज्येष्ठ, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2015

संख्या : मुद्रण(ए)4–18 / 93.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **फीडरमैन (ऑफसैट), वर्ग–III (अराजपत्रित)** के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग **फीडरमैन (ऑफसैट), वर्ग–III (अराजपत्रित)** भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र/ई–गजट, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.––**(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः मुद्रण (ए) 4–18/93 तारीख 23–12–1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में **फीडरमैन (ऑफसैट) (अराजपत्रित वर्ग–III)** भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अन्तर्गत इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,
मनीषा नंदा,
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन) ।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में फीडरमैन (ऑफसैट), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1 **पद का नाम.––**फीडरमैन (ऑफसैट)

2 **पदों की संख्या.–– 05 (पांच)**

3 **वर्गीकरण.––**वर्ग–III **(अराजपत्रित)**

4 **वेतनमान.––** (*i*) ***नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.–***पे बैंड : 5910–20200/–रूपए जमा 2400/रूपए ग्रेड पे।

(*ii*) **संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.––**8310/–रूपए (स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) प्रतिमास।

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.––** अचयन ।

6 **सीधी भर्ती के लिए आयु.––** 18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द् को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं,/किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगीं, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) अनिवार्य अर्हताएं.––(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान में दस जमा दो या इसके समतुल्य होना चाहिए ।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑफसैट प्रिटिंग में दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण–पत्र/राष्ट्रीय अप्रैंटिसशिप प्रमाण–पत्र रखता हो ।

(ख) वाँछनीय अर्हता.––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.–– आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति.––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सेकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ 15–क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेगें और उदत्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तो द्वारा विनियमित होगें।

11. प्रोन्नति, सेकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सेकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.––फलाई ब्वाय (आफसैट) में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के

अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों मे, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार पर या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करतें समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.–– अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरंचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **फीडरमैन (ऑफसैट)** को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.––नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन.––इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त **फीडरमैन (ऑफसैट)** को 8310/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 249/–रूपए की रकम (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) **(नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी).**—नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्, इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध ''ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8310/रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 249/–रूपए (पद के पे बैड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान, आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

(ड) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध 'ख'

फीडरमैन (ऑफसैट) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.. पुत्र/पुत्री श्री.. निवासी.., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'प्रथम पक्षकार'** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **'द्वितीय पक्षकार'** कहा गया है)के माध्यम से आज तारीख.................. .... को किया गया।

'द्वितीय पक्षकारस्त्रने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने–**फीडरमैन(ऑफसैट)** के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार **फीडरमैन(ऑफसैट)** के रूप में........... से प्रारम्भ होने और........ को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 8310/– रूपए प्रतिमास होगी। (जो पे बैंड के न्युनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी)। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौत्तरी की जानी हैं, तो पश्चातवर्त्ती वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 249/– रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्युनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण, ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त **फीडरमैन (ऑफसैट)** एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त **फीडरमैन (ऑफसैट)** को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

   परन्तु अनुपयुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष तक ही संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी । परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

   परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में

1..

....

....

(नाम व पूरा पता)

2..

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1..

....

....

(नाम व पूरा पता)

2..

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(A)4-18 / 93 -dated 27-05-2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*]

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th May, 2015

No: Mudran (A)4-18 / 93.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of **Feederman(Offset), Class-III (Non-Gazetted),** in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:--

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Feederman (Offset), Class-III (Non-Gazetted)** Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/ e-Gazatte Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Feederman (Offset) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide this Department Notification No: Mudran (A)4-18/93 Dated 23-12-1996 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the Rules, so repealed under rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary (P&S).

ANNEXURE ”A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FEEDERMAN (OFFSET), LASS-III (NON-GAZETTED) ,IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Feederman (Offset)

2. Number of Post(s).— 5 (Five)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—(i) Pay Scale for regular incumbents Pay Band Rs. 5910-20200+Rs.2400 Grade Pay .

(ii) Emoluments for contract employees Rs. 8310/- (as per details given in Col.15-A.) Per Month.

5. Whether “ Selection” post or “Non-Selection” post.—Non –Selection

6. Age for direct recruitment.— Between 18 & 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations /Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits(s).— (*a*) Essential Qualification(s): (I) should be 10+2 with Science or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(ii) Must posess two years National Trade Certificate /National Appreticiship Certificate in offset Printing from a recognized I.T.I or from an Institute duly recognized by the H.P./Central Government.

(b) Desirable Qualification(s) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not applicable

Educational Qualification.— Not Applicable

9. Period of probation ,if any.—Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s)to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be. The Contract employees will get emoluments as given in Col. No. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said column.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer grade from which promotion /secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the **Fly Boy (Offset), who posses three year's regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any in the grade.**

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that, in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his /her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field on consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.— The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Exservicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there under.

2. Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc services rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any services or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct rectuitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the HPSSSB Hamirpur or other recuiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below :--

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the **Feederman (Offset)** in Department of Printing & StationeryH.P will be engaged on contract basis initially for one year ; which may be extendable, on year to year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—**The Controller, Printing & Stationery Department Himachal Pradesh ,after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The **Feederman (Offset)** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ R 8,310/- per month (which shall be equal to the minimum of the pay band plus grade pay). An amount of R249/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) **APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—**The Controller, Printing and Stationery H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV**) SELECTION PROCESS.—**Selection for appointment to the post in case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS .—** As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(VI) (AGREEMEMT).—After selection of a candidate, he /She shall sign an agreement as per annexure -B appended to these Rules.

(**VII) TERMS AND CONDITIONS.—**(a) The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ R 8310/- per month(which shall be equal to minimum of pay band + grade Pay).The Contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ R.249 /- (3% of minimum of the Pay band + Grade pay of the post)) for further extended years and no other allied benefit such as senior /selection scales etc. will be given .

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service.However, the contract employee will be also be entitled for 16weeks Maternity Leave ,10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical

grounds, such period shall not be excluded while considering his/he case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever ever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a Certificate of his /her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the Confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules ,Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees, will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc .as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Other categories of persons issued by Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Powers to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

ANNEXURE "B"

Form of contract/agreement to be executed between the Feederman (Offset) & the Government of Himachal Pradesh through- Controller Printing and Stationery. H.P.

This agreement is made on this……………….. day of…………….. in the year ……..………..Between ………… Sh/Smt.…………….S/o/D/oShri …………………………… R/o ………………………….. Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through - Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as a **Feederman (Offset)** on contract basis on the following terms and conditions:--

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Feederman (Offset)** for a period of one year commencing on day of ----------------- …………………………..and ending on the day of ………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on ------------------ And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 8310 /-per month (which shall be equal to the minimumof pay band + grade pay). An amount of Rs. 249/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed of contract is extended beyond one year.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contractual **Feederman (Offset) will** be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitiled for 16weeks Maternity Leave 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/She shall not be entitiled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual **Feederman (Offset).**

   Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/he case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time .However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this peri0od of absence from duty.

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whereever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered edical Practitioner. In case of women candidate's pregnant beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s)

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSS:
1……………………………………..
……………………………………….
………………………………………. (Signature of the FIRST PARTY)
(Name and full Address)
2……………………………………..
……………………………………….
………………………………………. (Signature of the SECOND PARTY)
(Name and full Address

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1……………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
(Name and full Address)
2……………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
(Name and full Address)

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.— Whereas, Shri Tippu Khan, Advocate S/o Sh. Bashir Mohd., R/o Village and P.O. Rehan, Tehsil Nurpur, District Kangra, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Nurpur of District Kangra under rule 4 of theNotaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Nurpur of District Kangra.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Kapil Gurg, Advocate S/o Sh. Subhash Gurg, R/o Village Batol, P.O. Sarahan, Tehsil Pachhad, District Sirmour, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Pachhad(Sarahan) of District Sirmour under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Pachhad(Sarahan) of District Sirmour.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation)
to the Government of Himachal Pradesh

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015.

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Chuni Lal, Advocate S/o Sh. Ganga Ram, R/o Village Karla, P.O. Doghari, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015.

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Pankaj Chandel, Advocate S/o Sh. Jagat Singh Chandel, R/o Village Salah, P.O. Sundernagar, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. hasapplied for appointment of Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Neeraj Kishore Sharma, Advocate S/o Sh. L.R. Sharma, R/o H.No.42/05, Haripur, P.O. Sundernagar-1, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Sundernagar of District Mandi.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015

No. LLR-E(9)- 1/ 2015-Leg.— Whereas, Shri Som Raj Jamwal, Advocate S/o Sh. Attar Singh, R/o Village and P.O. Chalwara, Tehsil Jawali, District Kangra, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Jawali of District Kangra under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Jawali of District Kangra.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 27th May, 2015

No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.—Whereas, Shri Manoj Kumar, Advocate S/o Sh. Parmod Kumar Bhardwaj, R/o H.No. 231/1, Katcha Tank Nahan, District Sirmour, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Nahan of District Sirmour under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Nahan of District Sirmour.

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation),
to the Government of Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)**

1. Om Parkash aged 34 years s/o Shri Roshan Lal, r/o Village Dho, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

2. Ankita Rani aged 23 years d/o Shri Rambali Parshad, r/o Village Bauradih, Tehsil Islampur, District Nalanda, Bihar.

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Shri Om Parkash aged 34 years S/o Shri Roshan Lal, r/o Village Dho, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Ankita Rani aged 23 years d/o Shri Rambali Parshad, r/o Village Bauradih, Tehsil Islampur, District Nalanda, Bihar have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 2-4-2015 at Shiv Mandir, Patan Bazar Nadaun Tehsil Nadaun, District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 22-6-2015. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-5-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAKESH KUMAR SHARMA,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)**

NOTICE :

Shri Om Parkash aged 34 years s/o Shri Roshan Lal, r/o Village Dho, P.O. Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H. P. and Ankita Rani aged 23 years, d/o Shri Rambali Parshad, r/o Village Bauradih, Tehsil Islampur, District Nalanda, Bihar, have submitted an application in this office regarding registration of their marriage which has taken place on 2-4-2015 at Shiv Mandir Patan Bazar, Tehsil Nadaun, District Hamirpur in the presence of their relatives and friends. In this support they have submitted their affidavits, address & age proof of Om Parkash & Ankita Rani. Therefore, general public is invited to file their objections if any, regarding this marriage in this office before the next date of hearing *i.e.* 22-6-2015. If no objections are received in this office during this period, necessary order shall be passed.

Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. Ravi Kumar s/o Ramesh Kumar, V.P.O. Bijhari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H .P.)

2. Pirti d/o Mehar Singh, Village Bagund, P.O. Mahog, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

Ravi Kumar s/o Ramesh Kumar, VPO Bijhari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.) ने इस न्यायालय में Pirti d/o Mehar Singh, Village Bagund, P.O. Mahog, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25–6–2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 21–5–2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. Sukhvinder Singh s/o Pritam Chand, Village Kalwal, P.O. Loharli, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Anu Kumari d/o Pritam Chand, V. P.O. Chakmoh, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

Sukhvinder Singh s/o Pritam Chand, Village Kalwal, P.O. Loharli, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) ने इस न्यायालय में Anu Kumari d/o Pritam Chand, V. P.O. Chakmoh, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्त्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25–6–2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 21–5–2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

1. Vijay Kumar s/o Sher Singh, r/o V. P.O. Pairwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Chanda Devi d/o Om Prakash, r/o V. P.O. Shamshi, Tehsil & District Kullu (H.P.) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

Vijay Kumar s/o Sher Singh, r/o V. P.O. Pairwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) ने इस न्यायालय में Chanda Devi d/o Om Prakash, r/o V. P.O. Shamshi, Tehsil & District Kullu (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता–पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 25–6–2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 21–5–2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
उप–मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री ओम चन्द शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी

मिसल नं0 / 15 तारीख दायर : 7–4–15

ब मुकद्दमा : विपन कुमार पुत्र श्री हेम राज वासी टीका सपनेहड़ा, मौजा बमसन।

बनाम

आम जनता

मकफूद–उल–खबरी का इन्तकाल दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थी विपन कुमार पुत्र श्री हेम राज वासी टीका सपनेहड़ा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसका पिता हेम राज अरसा लगभग 12–13 वर्षों से लापता है उनका आज तक कोई भी पता नहीं मिला है प्रार्थी ने हेम राज के सारे रिश्तेदारों व हर मुमकिन जगह पर छानबीन की परन्तु कोई भी पता नहीं चला और न ही आज तक किसी ने उसे देखा। हेम राज का कागजात माल में नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राजस्व सम्बन्धी कार्य करवाने में असुविधा हो रही है। इसलिये राजस्व अभिलेख महाल सपनेहड़ा व टिक्करी में हेम राज का नाम रद्द करके उसके वारसन / प्रार्थी का नाम दर्ज कर दिया जावे।

अतः इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मकफूद उल खबरी का इन्तकाल दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 22–6–2015 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा आम जनता की ओर से कोई हाजिर न आने के करण आम जनता के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22–5–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ओम चन्द शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील वमसन स्थित टौणी देवी।

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री रूप चन्द पुत्र खजाना, वासी धुलाडी, मौजा धारकला, तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना पत्र सेहत नाम।

क्रम रीडर : दिनांक 19–5–15

श्री रूप चन्द पुत्र खजाना, वासी धुलाडी, मौजा धारकला, उप तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत हारचकियां में उसका नाम रूप सिंह दर्ज है जो कि सही नहीं है। सही नाम रूप चन्द पुत्र श्री खजाना है।

अतः इस ईश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 शिमला के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 14—6—2015 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती रूप सिंह उर्फ रूप चन्द पुत्र खजाना राम के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19—5—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित / —
नायब तहसीलदार,
हारचकियां।

———————

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

निशा देवी w/o सुशील कुमार, वासी उपरली ठेहड़, मौजा ठेहड़, उप तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना पत्र सेहत नाम।

श्रीमती निशा देवी w/o सुशील कुमार, वासी उपरली ठेहड़, मौजा ठेहड़, उप तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि ग्राम पंचायत ठेहड़ में मेरी लड़की का नाम पूनम देवी दर्ज है। जो कि सही नहीं है। सही नाम रीतू कौंडल है।

अतः इस ईश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 शिमला के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22—6—2015 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा ग्राम पंचायत ठेहड़ में नाम दरुस्ती पूनम देवी उर्फ रीतू कौंडल पुत्री सुशील कुमार के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22—5—2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां।

———————

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री रूप चन्द पुत्र खजाना, वासी धुलाडी, मौजा धारकला, तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना पत्र सेहत नाम।

क्रम रीडर : दिनांक 19—5—15

श्री रूप चन्द पुत्र खजाना, वासी धुलाडी, मौजा धारकला, उप तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृत हारचकियां में उसका नाम रूप सिंह दर्ज है जो कि सही नहीं है। सही नाम रूप चन्द पुत्र श्री खजाना है।

अतः इस ईश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 शिमला के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 14—6—2015 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती रूप सिंह उर्फ रूप चन्द पुत्र खजाना राम के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19—5—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
हारचकियां।

———————

ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

निशा देवी w/o सुशील कुमार, वासी उपरली ठेहड़, मौजा ठेहड़, उप तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना पत्र सेहत नाम।

श्रीमती निशा देवी w/o सुशील कुमार, वासी उपरली ठेहड़, मौजा ठेहड़, उप तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि ग्राम पंचायत ठेहड़ में मेरी लड़की का नाम पूनम देवी दर्ज है। जो कि सही नहीं है। सही नाम रीतू कौंडल है।

अतः इस ईश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 शिमला के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22—6—2015 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा ग्राम पंचायत ठेहड़ में नाम दरुस्ती पूनम देवी उर्फ रीतू कौंडल पुत्री सुशील कुमार के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22—5—2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां।

अज अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0 प्र0

तारीख पेशी : 22—6—2015

श्री रमेश पुत्र धुमी राम निवासी घमरेहड तहसील जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0 प्र0 . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता . . फरीकदोम

जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन—पत्र।

श्री रमेश पुत्र धुमी निवासी घमरेहड तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के लड़के का वास्तविक नाम अमित कुमार व जन्म तिथि 28—1—1987 है। जो प्रार्थी के ग्राम पंचायत दारट बगला के परिवार रजिस्टर नकल में भी दर्ज है। लेकिन प्रार्थी के लड़के का नाम व जन्म तिथि उक्त ग्राम पंचायत के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश किये जावे।

अतः ईश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22—6—2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजर होकर अपने उजर एतराज पेश करे अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23—5—2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0 प्र0।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चड़गांव जिला शिमला हि0 प्र0

श्री लोकिन्दर सिंह पुत्र स्व श्री ज्ञान चन्द, निवासी टिपरोली तहसील चड़गांव जिला शिमला हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थी लोकिन्दर सिंह पुत्र स्व श्री ज्ञान चन्द निवासी टिपरोली तहसील चड़गांव जिला शिमला हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में दिनांक 22—5—15 को राजस्व कागजात महाल पडेसा में नाम की दरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र गुजारा है। दरख्वास्त के साथ प्रार्थी ने योग्यता प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, फोटो पहचान पत्र व नकल परिवार रजिस्टर की प्रतिलिपि लफ की है। दस्तावेजों का अवलोकन करने से पाया कि आवेदक का नाम राजस्व कागजात में गलती से लोकिन्दर सिंह पुत्र ज्ञान चन्द की जगह पर राज कुमार पुत्र ज्ञान चन्द महाल पडेसा में दर्ज हुआ है। वास्तविक में राजस्व कागजात में लोकिन्दर सिंह पुत्र ज्ञान चन्द है। इसलिए आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारा किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 26—6—2015 को इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा राजस्व रिकार्ड में राजकुमार की जगह लोकिन्दर सिंह पुत्र ज्ञान चन्द नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 22—5—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चड़गांव जिला शिमला हि0 प्र0।

ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 32/2014 तारीख दायर : 23—07—2014

श्रीमती नीला पुत्री श्री थीसू गांव रचोली, हालाबाद पत्नी श्री वीर सैन निवासी गांव लीप्पा, तहसील मोरंग, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) .. वादी/प्रथम पक्ष

बनाम

1. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री शिव लाल निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

2. श्री देवू उर्फ योग राज पुत्र श्री बीसू पुत्र सुकू निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

3. श्रीमती पबली उर्फ रूकमणी, निवासी गांव बडगांव, डा0 भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला (हि0 प्र0) .. प्रतिवादी

दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 192/262 ता 265, किते 13, रकवा तादादी 00—58—33 है0, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम आम जनता :

प्रार्थिया श्रीमती नीला पुत्री श्री थीसू गांव रचोली, हालाबाद पत्नी श्री वीर सैन निवासी गांव लीप्पा, तहसील मोरंग, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 192/262 ता 265, किते 13, रकवा तादादी 00—58—33 है0, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की तामील बार—बार समन होने के कारण असालतन न होने पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 23—06—2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा की इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22—05—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 80 / 15

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री मंजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 8, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री मंजीत सिंह, निवासी वार्ड नं0 8, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र जससिमरन सिंह की जन्म तिथि 4—8—2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 4—8—2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जससिमरन सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18—6—2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जससिमरन सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16—5—2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 78 / 15

श्री विरेन्द्र पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी पातलियां, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विरेन्द्र पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी पातलियां, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 19—11—1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस

बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पातलियां में अपनी उपरोक्त जन्म तिथि 19–11–1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विरेन्द्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पातलियां, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18–6–2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विरेन्द्र की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–5–2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 79/15

श्री जगदीश चन्द कश्यप पुत्र श्री छोटा राम, निवासी पीपलीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.–प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश चन्द कश्यप पुत्र श्री छोटा राम, निवासी पीपलीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अजय कश्यप की जन्म तिथि 16–10–1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पीपलीवाला में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 16–10–1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अजय कश्यप की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पीपलीवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18–6–2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अजय कश्यप की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–5–2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 76 / 15

श्री नजाकत अली पुत्र श्री कबीर अहमद, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नजाकत अली पुत्र श्री कबीर अहमद, निवासी टोका नगला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री जहिरा की जन्म तिथि 16—9—2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्डियों में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 16—9—2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जहिरा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्डियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18—6—2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त जहिरा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15—5—2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 77 / 15

श्री हुक्म सिंह पुत्र श्री किशन बहादुर, निवासी गिरीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हुक्म सिंह पुत्र श्री किशन बहादुर, निवासी गिरीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री यशोदा कुमारी की जन्म तिथि 13—12—1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा

पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पड़दुनी में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 13–12–1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को यशोदा कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पड़दुनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 18–6–2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त यशोदा कुमारी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15–5–2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (हि0प्र0से0) अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप–मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, नि0 ग्राम भुगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. सचिव, ग्राम शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब
2. आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, नि0 ग्राम भुगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना–पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह मनदीप कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह, निवासी ग्राम दुगाला, जिला हरिद्वार के साथ दिनांक 18–4–2014 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है। जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जसपाल सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, नि0 ग्राम भुगरनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 12–6–2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3–5–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

श्रवण मान्टा,
अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

In the Court of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas Shri Inderbir Singh s/o Shri Trilok Singh, s/o House No.57, Ward No. 7, Main Bazar, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Inder Pal Kaur d/o Shri Surinder Singh, r/o Saharanpur, U.P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 21st April, 1996 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 21st April, 1996 between above said Shri Inderbir Singh S/o Shri Trilok Singh, r/o House No.57, Ward No. 7, Main Bazar, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Inder Pal Kaur d/o Shri Surinder Singh, r/o Saharanpur, U.P. They should file their written objection and appear personally within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-

Marriage Officer (SDM),
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

In the Court of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT.

Whereas Abhishek Dangwal s/o Shri Hari Ballabh, R/o V.P.O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Subhra d/o Shri Ramesh Grover aged about 29 years, r/o House No. 208, Sector 18 Huda, Tehsil Jagadhari, District Yamunanagar, H.R. have filed an application for registration of their marriage which was solemnized on 18-11-2012 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Abhishek Dangwal S/o Shri Hari Ballabh, R/o V.P.O. Majra, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur H.P. and Subhra D/o Shri Ramesh Grover aged about 29 years, R/o House No. 208, Sector 18 Huda, Tehsil Jagadhari, District Yamunanagar, H.R. they should file written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within the period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heared and accepted.

Issued under my hand and seal.

Seal. Sd/-

Marriage Officer (SDM),
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

In the Court of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas Shri Gouri Prasad Acharya S/o Shri Adwaita Kumar Acharya, R/o House No. 228/30, Ward No. 11, Friends Enclave colony, Shubkhera, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Bhagyashree (Maiden Name : Bhagyashree Pati) D/o Shri Bibhuti Bhushan Pati, R/o Phase-3, Dumuduma, H.B. Colony, Bhubneshwer, District Khurda, Odisha, presently residing at H.No. 228/30, Ward No. 11, Friends Enclave colony, Shubkhera, Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 25-2-2015 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 25-2-2015 between above said Shri Gouri Prasad Acharya S/o Shri Adwaita Kumar Acharya and Smt. Bhagyashree Acharya, D/o Shri Bibhuti Bhushan Pati. They should file their written objection and appear personally within 30 days from this date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and seal of this Office.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer (SDM),
Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Before the Executive Magistrate *cum* Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Shri Harjeet Singh S/O Late Shri Faquir Chand, Village Balana, P.O. Shamti, Raju Niwas, Rajgarh Road Shamti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

NOTICE

Whereas applicant Shri Harjeet Singh S/O Late Shri Faquir Chand, Village Balana, P.O. Shamti, Raju Niwas, Rajgarh Road Shamti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of death *i.e.* 19-09-2013 of his mother named Late Smt. Nirmala Devi W/O Late Shri Faquir Chand in the record of Gram Panchayat Kothon, Tehsil & District Solan, as her date of death has not been entered in the record of Gram Panchayat Kothon, Tehsil and District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of death *i.e.* 19-09-2013 of Late Smt. Nirmala Devi W/O Late Shri Faquir Chand in the record of Gram Panchayat Kothon, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 26th June, 2015 positively; otherwise

necessary order will be passed to enter the date of death of Late Smt. Nirmala Devi W/O Late Shri Faquir Chand in the record of Gram Panchayat Kothon, Tehsil & District Solan.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Solan, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है